

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2026/ 3662

दिनांक:- 2 सितम्बर, 2026

— : आ-दे-श : —

- 01 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारीगण का पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	02	03	04
01	राजन शकरवाल आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 14	ACJ&JM No. 2
02	हरमीत सिंह शरिस्तेदार ग्रेड-I	ADJ No. 6	DJ Court
03	मुकेश कुमार गुप्ता लिपिक ग्रेड-I	Spl. Court, CBI No. 1	ACJ&JM No. 13
04	सत्यनारायण सिंह पंवार लिपिक ग्रेड-I	Family Court No. 5	ACJM No. 19

- 02 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	हरमीत सिंह शरिस्तेदार ग्रेड-I	ADJ No. 6	ADJ No. 2	यतेन्द्र खण्डेलवाल रीडर ग्रेड-I
2.	यतेन्द्र खण्डेलवाल रीडर ग्रेड-I	ADJ No. 2	Family Court No. 5	रीडर ग्रेड-I के रिक्त पद पर
3.	मुकेश कुमार गुप्ता लिपिक ग्रेड-I	Spl. Court, CBI No. 1	ADJ No. 3	सौरभ कुमार तंवर लिपिक ग्रेड-I
4.	सौरभ कुमार तंवर लिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 3	Family Court No. 5	सत्यनारायण सिंह पंवार लिपिक ग्रेड-I
5.	सत्यनारायण सिंह पंवार लिपिक ग्रेड-I	Family Court No. 5	Spl. Court, CBI No. 1	मुकेश कुमार गुप्ता लिपिक ग्रेड-I

नोट:- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारीगण को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

- 03 श्री प्रवीण कुमार जैन, शरिस्तेदार ग्रेड-II जिला न्यायालय के केन्द्रीय अभिलेखागार में रेकॉर्ड कीपर से संबंधित कार्य सम्पादित करेंगे। इनकी अनुपस्थिति में उक्त पद से संबंधित कार्य श्री विकास गुप्ता द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

- 04 जयपुर महानगर-I में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारीगण को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
01	सत्यनारायण सिंह पंवार लिपिक ग्रेड-I	Spl. Court, CBI No. 1	ACJM No. 19

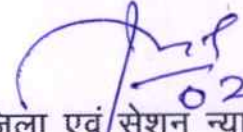
नोट:-

- a) उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम

- b) उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-I की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-II की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।


02.9.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था / 09 / 2026 / 3662

दिनांक:— 2 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा/रेकॉर्ड शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी, जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी
- 05 आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली


02.9.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम